आदेशानुसार

रीडर

उपखण्ड अधिकारी

पुष्कर (अजमेर)

17/11/21

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी आज अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त होने के कारण मिसल दिनांक 22/12/21 को वास्ते जवाब पेश हो।

आदेशानुसार

रीडर

उपखण्ड अधिकारी

पुष्कर (अजमेर)

22/12/21

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अभिभावक उपस्थित/ पैरोकार सरकार उप.। आज समय-चाहने अप्रार्थी सं. 1 से 7, 12, 13 से 12/6 व 15 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद आज दिन तक जवाब पेश नहीं किये जाने से अप्रार्थी सं. 1 से 7, 12, 13 से 12/6 व 15 का जवाब बन्द किया जाता है पत्रावली वास्ते जवाब सरकार दिनांक 5/1/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी

पुष्कर (अजमेर)

05/01/22

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अभिभावक उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार का जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया, जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 16 की संयुक्त खातेदारी की भूमि ख.न. 326, 327, 339/2467 कुल रकबा 0.35 हैक्टे. राजस्व ग्राम गनाहेड़ा में अवस्थित है। इस वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थी का 16/43, 27/688 वां हिस्सा निहित है। इसके साथ ही वादग्रस्त आराजियात ख.न. 302, [illegible], 1131, [illegible] 1136, 1138, 2018, 220/2768, 332, 333, [illegible], 339/2723 में अप्रार्थीगण के साथ प्रार्थी का हिस्सा भी निहित है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बीच [illegible] आपसी बंटवारा नहीं हुआ है। सभी संयुक्त खातेदार संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अतः वादग्रस्त आराजियात पर प्रार्थी के

उभय पक्ष (दोनों) को पाबन्द किया जाता है कि [illegible] उक्त आराजी में [illegible] कोई किसी प्रकार की कार्यवाही [illegible] में नहीं करेंगे [illegible]

05/1/22

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 10:38:21 IST
Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | ... हुक्म ... में जारी ... |
|---|---|---|
| | कब्जे-काश्त मे दखलदाजी एवं मदाखलत उत्पन्न ना करे, रहन, बेचान, मुन्तकिल करने एवं प्रार्थी को जबरन बेदखल कर अतिक्रमण न करने व भूमि की किस्म व शक्ल परिवर्तित न करने बाबत अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाया जावे। वकील अप्रार्थीगण संख्या-8,9,14/1 द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया और सहमति दी कि दोनों पक्षों को पाबंद किया जावे और प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को फसल बोने व सिंचाई करने मे कोई व्यवधान उत्पन्न ना करे तो मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा कन्फर्म की जाती है तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है। वकील उभय पक्ष की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति व प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 06.01.2021 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है तथा उभय पक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजियात की मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा फसल बोने व सिंचाई करने में उभय पक्ष किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>निर्णय आज दि. [illegible]-01-2022 को खुले न्यायालय में [illegible] सुनाया गया।<br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Sukha Ram Pindel<br>Date: 2022.07.04 10:38:21 IST<br>Reason: SelfAttested<br>05.01.22<br>उपखण्ड अधिकारी<br>पूगल | |